24 [illegible] वकील वादी उपस्थित।
प्रति० सं० 2 की ओर श्री रघुनन्दन सिंह राजावत एड० द्वारा वकालतनामा पेश किया जो शा० पत्रा० हो। प्रति० सं० 1 को बावजूद तामील होने पर उपस्थित नहीं होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रा० प्रतिवादी के जवाब में नियत की जाती है। पत्रा० दिनांक 9/7/24 को पेश हो।

13/6/24 पत्रावली आज मूल पेशी से शीघ्र सुनवाई के प्रा० पत्र को स्वीकार कर आज पेशी में तलब की गयी। प्रकरण से सम्बन्धित सभी पक्षकार उपस्थित। उभय पक्षकार द्वारा राजीनामा पेश कर निवेदन किया है कि उक्त प्रकरण में दोनों पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है तथा दोनों पक्षकारान इस बात से सहमत हैं कि मौके पर वास्तविक रूप से सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढ़ी करवाया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में हल्का पटवारी व गिरदावर की मौजूदगी में वादिया एवं प्रति वादि[illegible] की [illegible] का सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढ़ी करवाये जाने का कथन किया है। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 16:56:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। राजीनामा आदेश/निर्णय का अंश रहेगा। तहसीलदार स०मा० को आदेश किये जाते हैं कि वाद पत्र में अंकित उभयपक्षकारान की उपस्थित में राजीनामा में अंकित विवादित आराजीयात का सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढ़ी करवायी जावे। पत्थरगढ़ी का समस्त हर्जा-खर्चा वादी द्वारा वहन किया जावेगा। आदेश की पालनार्थ हेतु तहरीर तहसीलदार स०मा० को भेजी जावे। पक्षकारान उक्त प्रकरण में हुऐ हर्जे-खर्चे को स्वयं वहन करें। तदनुसार डिक्री जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 16:56:46 IST
Reason: SelfAttested

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

नाम न्यायालय उप जिला कलेक्टर स्थान सवाई माधोपुर

कैलाशी देवी पत्नी बिलास जाति माली निवासी कुश्तला तहसील व जिला सवाई माधोपुर

बनाम

1. डॉ0 पवन गर्ग पुत्र नामलुम जाति महाजन निवासी पवन आई हॉस्पिटल एवं रिसर्च खत्री बाग रणथम्भौर रोड जिला सवाई माधोपुर
2. सीमा गर्ग पत्नी पवन गर्ग निवासी पवन आई हॉस्पिटल एवं रिसर्च खत्री बाग रणथम्भौर रोड जिला सवाई माधोपुर

मु0न0 27/2024 सन् 2024

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की और से श्री भोलाशंकर शर्मा एड0 और प्रतिवादी संख्या की और से श्री रघुनन्दन सिंह राजावत एड0 की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 13.06.2024 को श्री अनिल कुमार चौधरी (आर.ए.एस) के समक्ष निपटारें के लिए पेश होने पर आदेश किया गया जाता है और अन्तिम डिकी दी जाती है कि वादी का वाद पत्र राजीनामें के आधार पर स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेशित किया जाता है कि राजीनामा आदेश का अंश रहेगा। वादपत्र में अंकित उभयपक्षकारान की उपस्थिति में राजीनामा में अंकित विवादित आराजीयात का सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी करवायी जावें। पत्थरगढी का समस्त हर्जा खर्चा वादी द्वारा वहन किया जावेगा। पक्षकारान उक्त प्रकरण में हुऐ हर्ज खर्च को स्वयं वहन करें।

इस बाद के खर्चे लेखें X रूपया की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर X प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित X द्वारा X को दी जाए। यह आज तारीख 13.06.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

वाद के खर्च

वादी	रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प	02	00	शाक्ति पद के लिए स्टाम्प	02.00	
शाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	02	00	अर्जी के लिए स्टाम्प	000	
प्रदेशाके लिए स्टाम्प रू0 पर	00	00	प्लीडर की फीस	0.00	
प्लीडर की फीस	00	00	साक्षियों के निर्वाह व्यय	0.00	
साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	आदेशिका की तामील	00.00	
कमिश्नर की फीस	00	[illegible]	कमिश्नर की फीस	0.00	
आदेशिका की तामील	03	00			
जोड	07.00	00	जोड	02.00	

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 16:56:46 IST
Reason: SelfAttested